

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग [I—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

प्राधिकार स प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2013/आषाढ़ 21, 1935

No. 346]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2013/ASHADHA 21, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 15 फरवरी, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 479(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 14/2000–आरबी) (इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे ।

(बी) इन विनियमों के उपबंधों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे प्रत्येक उपबंध@ के समक्ष विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू हुए हैं।

2.विनियम 3 में संशोधन:

मूल विनियमावली में, विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में,

(ए) "(नेपाल और भूटान को छोड़कर)" शब्द और कोष्ठक हटाए जाएंगे और ऐसा समझा जाएगा कि वे 27 दिसंबर 2010 से हटाये गये हैं।

(बी) तालिका में,

- प्रथम स्तंभ में, "समूह" शीर्षक के तहत, मद (1) के अंतर्गत,
 - ए. "(नेपाल को छोड़कर)" शब्दों और कोष्ठक को "(नेपाल और भूटान को छोड़कर)" शब्दों और कोष्ठक से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे 1 जून 2000 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।
 - बी. "(नेपाल और भूटान को छोड़कर)" शब्दों और कोष्ठक को "(नेपाल, भूटान और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान को छोड़कर)" शब्दों और कोष्ठक से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे 27 दिसंबर 2010 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।
 - सी. "बांग्लादेश और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान" शब्दों के लिए, "बांग्लादेश" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 27 दिसंबर 2010 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।
 - डी. "पाकिस्तान और श्रीलंका" शब्दों के लिए, "पाकिस्तान, श्रीलंका और रिपब्लिक आफ मालदीव" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 30 अक्तूबर 2009 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।
- (II) द्वितीय स्तंभ में, "विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का तरीका" शीर्षक के तहत, मद 1(ए) के अंतर्गत, "एशियन क्लियरिंग यूनियन डालर एकाउंट" शब्दों के लिए, जहाँ कहीं वे आते हैं, "एशियन क्लियरिंग यूनियन डालर एकाउंट और अथवा एशियन क्लियरिंग यूनियन यूरो एकाउंट" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 26 दिसंबर 2008 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।
- (III) प्रथम पंक्ति के बाद, मद (1) के बाद, निम्नितिखित अंश जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 27 दिसंबर 2010 से जोड़ा गया है।

(1ए) नेपाल और भूटान	समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.
	फेमा 17/2000-आरबी के उपबंधों के अनुसार भुगतान।
(1बी) इस्लामिक रिपब्लिक	(ए) सभी पात्र चालू लेनदेनों के लिए भुगतान, किसी अनुमत मुद्रा
आफ ईरान	में और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, प्राधिकृत व्यापारियों को
	जारी किए गए निर्देशों के अनुसार; और
	(बी) सभी अन्य मामलों में किसी अनुमत मुद्रा में भुगतान।

(IV) द्वितीय पंक्ति में,

(ए) प्रथम स्तंभ में, "समूह" शीर्षक के तहत, मद (2) के अंतर्गत, "(2) मद (1) में उल्लिखित देशों से

भिन्न सभी देश" शब्दों, आंकड़ों तथा कोष्ठकों के लिए, "(2) मद (1), (1ए) और (1बी) में उल्लिखित देशों से भिन्न सभी देश" शब्द, आंकड़े तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 27 दिसंबर 2010 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

(बी) द्वितीय स्तंभ में, "विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का तरीका" शीर्षक के तहत, मद 2(ए) के अंतर्गत, "नेपाल अथवा भूटान" शब्दों के लिए, "नेपाल अथवा भूटान अथवा इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 27 दिसंबर 2010 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

3. विनियम 5 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 5 में, उप-विनियम (1) में,

(ए) शब्द और कोष्ठक "(नेपाल और भूटान को छोड़कर)" हटाए जाएंगे और ऐसा समझा जाएगा कि वे 27 दिसंबर 2010 से हटाये गये हैं।

(बी) तालिका में

- (1) प्रथम स्तंभ में, "समृह" शीर्षक के तहत, मद (1) के अंतर्गत,
 - (ए) "(नेपाल को छोड़कर)" शब्दों और कोष्ठक, "(नेपाल और भूटान को छोड़कर)" शब्दों और कोष्ठक से प्रतिस्थापित किए जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 1 जून 2000 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।
 - (बी) "(नेपाल और भूटान को छोड़कर)" शब्दों और कोष्ठक को, "(नेपाल, भूटान और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान को छोड़कर)" शब्दों और कोष्ठक से प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 27 दिसंबर 2010 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।
 - (सी) "बांग्लादेश और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान" शब्दों के लिए, "बांग्लादेश" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 27 दिसंबर 2010 से प्रतिस्थापित किया गया है।
 - (डी) "पाकिस्तान और श्रीलंका" शब्दों के लिए, "पाकिस्तान, श्रीलंका और रिपब्लिक आफ मालदीव" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 30 अक्तूबर 2009 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

- (II) द्वितीय स्तंभ में, "भुगतान का तरीका" शीर्षक के तहत, मद 1(ए) के अंतर्गत, "एशियन क्लियरिंग यूनियन डालर एकाउंट" शब्दों के लिए, जहाँ कहीं वे आते हैं, "एशियन क्लियरिंग यूनियन डालर एकाउंट और अथवा एशियन क्लियरिंग यूनियन यूरो एकाउंट" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 26 दिसंबर 2008 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।
- (III) प्रथम पंक्ति के बाद, मद (1) के बाद, निम्नितिखित अंश जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 27 दिसंबर 2010 से जोड़ा गया है।

(1ए) नेपाल और भूटान	समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की
	अधिसूचना सं. फेमा 17/2000-आरबी के उपबंधों के
	अनुसार भुगतान।
(1बी) इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान	(ए) सभी पात्र चालू लेनदेनों के लिए भुगतान, किसी
	अनुमत मुद्रा में और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर,
	प्राधिकृत व्यापारियों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार;
	और
	(बी) सभी अन्य मामलों में किसी अनुमत मुद्रा में भुगतान।

(IV) द्वितीय पंक्ति में,

- (ए) प्रथम स्तंभ में, "समूह" शीर्षक के तहत, मद (2) के अंतर्गत, "(2) मद (1) में उल्लिखित देशों से भिन्न सभी देश" शब्दों, आंकड़ों तथा कोष्ठकों के लिए, "(2) मद (1), (1ए) और (1बी) में उल्लिखित देशों से भिन्न सभी देश" शब्द, आंकड़े तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 27 दिसंबर 2010 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।
- (बी) द्वितीय स्तंभ में, "भुगतान का तरीका" शीर्षक के तहत, मद 2(ए) के अंतर्गत, "नेपाल अथवा भूटान" शब्दों के लिए, "नेपाल अथवा भूटान अथवा इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे 27 दिसंबर 2010 से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

[सं. फेमा. 257/2013-आर बी] रशिम फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-

- (i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विमियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
- (ii) मूल विनियमावली 5 मई 2000 को जी.एस.आर.सं. 397(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:
- ए) 29 सितंबर 2003 के जी.एस.आर.सं.772(ई)

बी) 2 फरवरी 2005 के जी.एस.आर.सं.53 (ई)

सी) के जी.एस.आर.सं.

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th February, 2013

Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Manner of Recipt and Payment) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 14/2000-RB dated May 3, 2000)(hereinafter referred to as the principal regulations namely:—

1. Short title and commencement: -

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2013.
- (b) The provisions of these Regulations shall be deemed to have come into force with effect from the dates specified against each of the provisions@.

2. Amendment of Regulation 3:

In the principal Regulations, in Regulation 3, in sub-regulation (1),

- (A) the words and brackets, "(other than Nepal and Bhutan)" shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 27th day of December 2010.
- (B) in the Table,
 - (I) in the first column, under the heading "Group", under Item (1),
 - a. for the words "(except Nepal)", the words "(except Nepal and Bhutan)" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of June, 2000.
 - b. for the words "(except Nepal and Bhutan)", the words "(except Nepal, Bhutan and Islamic Republic of Iran)" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 27th day of December, 2010.

3098GI 113-2

- c. for the words "Bangladesh, Islamic Republic of Iran,", the words "Bangladesh," shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 27th day of December 2010.
- d. for the words "Pakistan and Sri Lanka", the words "Pakistan, Sri Lanka and Republic of Maldives" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 30th day of October, 2009.
- (II) In the second column, under the heading "Manner of receipt of foreign exchange", under Item 1(a), for the words "Asian Clearing Union dollar account", wherever they occur, the words "Asian Clearing Union dollar account and or Asian Clearing Union euro account" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 26th day of December 2008.
- (III) After the first row, after Item (1), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 27th day of December 2010.

(1A) Nepal and Bhutan	Notification No. FEMA 17/2000-RB, dated May 3, 2000, as amended from time to time.
(1B) Islamic Republic of Iran	 (a) Payment for all eligible current transactions, in any permitted currency and in accordance with the directions issued by the Reserve Bank to the authorized dealers from time to time; and (b) Payment in any permitted currency in all other cases.

(IV) in the second row.

- (a) In the first column, under the heading "Group", under item (2), for the words, figures and brackets, "(2) All countries other than those mentioned in (1)", the words, figures and brackets, "(2) All countries other than those mentioned in (1), (1A) and (1B)" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 27th day of December, 2010.
- (b) In the second column, under the heading "Manner of receipt of foreign exchange", under Item (2)(a), for the words "Nepal or Bhutan", the words "Nepal or Bhutan or Islamic Republic of Iran" shall be substituted and shall be deemed to

have been substituted with effect from 27th day of December, 2010.

3. Amendment of Regulation 5

In the principal Regulations, in Regulation 5, in sub-regulation (1),

(A) the words and brackets, "(other than Nepal and Bhutan)" shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 27th day of December 2010.

(B) in the Table

- (I) in the first column, under the heading "Group", under Item (1),
 - (a) for the words "(except Nepal"), the words and brackets "(except Nepal and Bhutan)" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of June, 2000.
 - (b) for the words "(except Nepal and Bhutan)", the words (except Nepal, Bhutan and Islamic Republic of Iran)" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 27th day of December, 2010,
 - (c) for the words "Bangladesh, Islamic Republic of Iran,", the words "Bangladesh," shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 27th day of December 2010.
 - (d) for the words "Pakistan and Sri Lanka", the words "Pakistan, Sri Lanka and Republic of Maldives" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 30th day of October, 2009.
- (II) In the second column, under the heading "Manner of payment", under Item 1(a), for the words "Asian Clearing Union dollar account", wherever they occur, the words "Asian Clearing Union dollar account and or Asian Clearing Union euro account" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 26th day of December 2008.
- (III) after the first row, after Item(1), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 27th day of December 2010.

Bhutan	Payment in accordance with the provisions of Notification No. FEMA 17/2000-RB, dated May 3, 2000, as amended from time to time.
(1B) Islamic Republic of Iran	 (a) Payment for all eligible current transactions, in any permitted currency and in accordance with the directions issued by the Reserve Bank to the authorized dealers from time to time; and (b) Payment in any permitted currency in all other cases.

(IV) in the second row,

- (a) In the first column, under the heading "Group", under item (2), for the words, figures and brackets, "(2) All countries other than those mentioned in (1)", the words, figures and brackets, "(2) All countries other than those mentioned in (1), (1A) and (1B)" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 27th day of December, 2010.
- (b) In the second column, under the heading "Manner of payment", under Item (2)(a), for the words "Nepal or Bhutan", the words "Nepal or Bhutan or Islamic Republic of Iran" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 27th day of December, 2010

[No. FEMA. 257/2013-RB] RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note:---

- (i) @ It is clarified that no person would be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 397 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended vide:-
 - (a) G.S.R. No. 772 (E) dated September 29, 2003;
 - (b) G.S.R. No. 53 (E) dated February 2, 2005; and
 - (c) G.S.R. No. ----- dated -----